

प्रारूप-9
नियम 8(2) देखिये

संख्या 00273/2022-2023

दिनांक 30/04/2022



सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र
(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण
संख्या:R/BUL/01464/2022-2023

पत्रावली संख्या:62884-M

दिनांक:2016-2017

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि श्री ब्रह्म सिंह एजुकेशनल सोसायटी, म०न०-72 ग्राम फतेहपुर बुजुर्ग पो० भूडाखेडा तहसील व जिला बुलन्दशहर।, बुलन्दशहर, 203409 को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 969 दिनांक-18/01/2017 को दिनांक-18/01/2022 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है। 1200 रुपये की नवीनीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।



Digitally Signed By
(ARVIND KUMAR SINGH)
5BAB8725D0F998628ED3E67B9679BBD11EE91463

Date: 30/04/2022 6:12:11 PM, Location: Meerut.

जारी करने का दिनांक-30/04/2022

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।

MANAGER
Shri Brahm Singh Educational
Society

प्रमाणपत्र क्रमांक 036135

प्रारूप -8

नियम 7(2) देखिये

संख्या 5455

दिनांक 18.01.2017



सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र

पंजीकरण संख्या

969

पत्रावली संख्या

62884-एम

दिनांक

2016-2017

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि *..श्री..ब्रह्म..सिंह.....

एजुकेशनल सोसाइटी, नं०=72, ग्राम फतेहपुर बुजुर्ग पो० मूडाखेडा तहसील को आज बुलन्दशहर

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथासंशोधित सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण

अधिनियम 1860 के अधीन सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत किया गया है । यह

प्रमाण-पत्र तक विधि मान्य होगा ।
17-01-2022

आज दिनांक 18-01 दो हजार 17 को मेरे हस्ताक्षर से दिया गया ।

*सोसाइटी का नाम, पता

[Signature]

MANAGER
Shri Brahm Singh Educational
Society

[Signature]
सोसाइटी के रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

11AD 417769

यह जनरल स्टाम्प पेपर श्री ब्रह्म सिंह एज्युकेशनल सोसाइटी
...का ... पत्रावली सं. 62884 (म)
जिला ... पत्रावली सं. 62884 (म)
... संलग्न है।

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक / अन्वेषक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फार्म सोसाइटीज तथा चिट्स, मेरठ।

20-1-17


MANAGER
Shri Brahm Singh Educational
Society

स्मृति- पत्र

- 1- संस्था का नाम : श्री ब्रह्म सिंह एजुकेशनल सोसायटी।
- 2- संस्था का पूरा पता : म0न0-72, ग्राम फतेहपुर बुजुर्ग पो0 मूड़ाखेडा तहसील व जिला-बुलन्दशहर।
- 3- संस्था का कार्यक्षेत्र : समस्त उत्तर प्रदेश होगा।
- 4- संस्था के उद्देश्य : निम्नलिखित होंगे :-

1. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में सभी वर्ग के बच्चों को शिक्षा प्राईमरी स्तर से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक उपलब्ध कराने हेतु विद्यालय, कालेज एवं शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थानों आदि की स्थापना एवं संचालन करना।

2. प्ले नर्सरी स्कूल की स्थापना कर संचालन करना।

3. निर्धन व अनाथ बालक/ बालिकाओं के सिलाई, कढ़ाई, बुनाई जैसे अन्य हस्तशिल्प शिक्षण- प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित कर संचालन करना एवं उनको आत्म निर्भर बनाना।

शिक्षा विकास हेतु प्राइमरी शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा व्यवस्था हेतु स्कूल कालेज, डिग्री कालेज की स्थापना करना तथा तकनीकी/गैरतकनीकी/प्राविधिक संस्थानों की स्थापना कर संचालन करना।

5. समाज में पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति-जनजाति, विकलांगों आदि के सामाजिक उत्थान हेतु कार्यक्रमों का संचालन करना।

आपातकालीन परिस्थितियों जैसे भूकम्प, अग्निकांड, बाढ़, महामारी व अन्य प्राकृतिक अपादाओं में पीड़ितों को राहत सामग्री आदि सुविधायें उपलब्ध कराना।

7. समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों, सम्मेलनों, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं जैसे खेल-कूद, वाद विवाद, चित्रकला, सामान्य ज्ञान आदि का आयोजन करना।

सत्य प्रतिलिपि नियमानुसार चिकित्सा कैम्प, शिविरों का आयोजन कराकर परिवार कल्याण एवं पोलियो, संक्रामक रोग के प्रति जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन करना।

प्रधान सहायक/अनुसूचित बच्चों तथा युवकों/ युवतियों के लिए छात्रावास पुस्तकालय की स्थापना करना।

कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार

सोसाइटीज तथा चिन्स, मेरठ विद्यार्थियों को पुरुस्कृत कर प्रोत्साहित कर उनके मनोबल को बढ़ावा देना।

11. गरीब, अनपढ़ एवं ग्रामीण क्षेत्र वर्ग के समाज को शिक्षित करने, विकासमुख एवं उनको समाज में आगे बढ़ावा देने हेतु हर सम्भव प्रयास करना।

MANAGER

Shri Brahm Singh Educational Society

श्री ब्रह्म

श्री ब्रह्म

शुनीता देवी

श्री ब्रह्म

5 प्रबन्धकारिणी समिति :-

प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम, पिता/पति का नाम, पता, पद एवं व्यवसाय जिनको नियमानुसार कार्यभार सौंपा गया है।

| क्र० सं० | नाम व पिता/ पति का नाम | पता | पद | व्यवसाय |
|----------|---|--|------------|-------------|
| 1. | श्री टैनपाल सिंह पुत्र श्री ब्रह्म सिंह | म०न०-72, ग्राम फतेहपुर बुजुर्ग पो० मूंडाखेडा तहसील व जिला-बुलन्दशहर। | अध्यक्ष | सेवानिवृत्त |
| 2. | श्री ऋषभ राजौरा पुत्र श्री अरविन्द कुमार | म०न०-72, ग्राम फतेहपुर बुजुर्ग पो० मूंडाखेडा तहसील व जिला-बुलन्दशहर। | उपाध्यक्ष | अध्ययनरत |
| 3. | श्री अनुज कुमार पुत्र श्री टैनपाल सिंह | म०न०-72, ग्राम फतेहपुर बुजुर्ग पो० मूंडाखेडा तहसील व जिला-बुलन्दशहर। | प्रबन्धक | व्यापार |
| 4. | श्रीमती भावना पत्नी श्री अनुज कुमार | म०न०-1053, फस्ट फ्लोर नीति खण्ड-1, इन्द्रापुरम, गाजियाबाद। | उपप्रबन्धक | गृहणी |
| 5. | श्री अरविन्द कुमार पुत्र श्री टैनपाल सिंह | म०न०-72, ग्राम फतेहपुर बुजुर्ग पो० मूंडाखेडा तहसील व जिला-बुलन्दशहर। | कोषाध्यक्ष | व्यापार |
| 6. | श्रीमती अन्जु पत्नी श्री रतन सिंह | म०न०-1354, सैक्टर-37, कम्यूनिटी सेंटर के पास, फरीदाबाद, हरियाणा। | सदस्य | गृहणी |
| 7. | श्री ध्यान सिंह पुत्र श्री ब्रह्म सिंह | म०न०-72, ग्राम फतेहपुर बुजुर्ग पो० मूंडाखेडा तहसील व जिला-बुलन्दशहर। | सदस्या | सेवानिवृत्त |
| 8. | श्रीमती सुनीता देवी पत्नी श्री सत्यपाल सिंह | म०न०-72, ग्राम फतेहपुर बुजुर्ग पो० मूंडाखेडा तहसील व जिला-बुलन्दशहर। | सदस्या | गृहणी |
| 9. | श्री राजीव कुमार पुत्र श्री शिवदान सिंह | ग्राम खंडेहा खैर अलीगढ़। | सदस्य | कृषि |

6 हम निम्न ह०कर्ता घोषित करते है कि इस स्मृति-पत्र व संलग्न निर्दिष्ट वली के अनुसार सो० न० 10 एक्ट 1860 के अन्तर्गत एक समिति का गठन किया है।

दिनांक

हस्ताक्षर:

टैनपाल ATE

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक/अन्वेषक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
श्री सोसाइटीज, मेरठ।

20-1-17

MANAGER
Shri Brahm Singh Educational
Society





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

11AD 417770

यह जनरल स्टाम्प पेपर श्री ब्रह्म सिंह एज्युकेशनल सोसाइटी
का. फार्म नं. १२३४५६७८९० सो. ब्रह्मसिंहा
जिला बुंदेलखंड पत्रावली सं. ०२४८५(म)
निपनावली संलग्न है।

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक/अन्वेषक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फार्म सोसाइटीज तथा चिट्स, मेरठ।

20-1-17

MANAGER
Shri Brahm Singh Educational
Society

नियमावली

- 1- संस्था का नाम : श्री ब्रह्म सिंह एजुकेशनल सोसायटी।
- 2- संस्था का पूरा पता : म0न0-72, ग्राम फतेहपुर बुजुर्ग पो0 मूडाखेडा तहसील व जिला-बुलन्दशहर।
- 3- संस्था का कार्यक्षेत्र : समस्त उत्तर प्रदेश होगा।
- 4- संस्था के उद्देश्य : स्मृति-पत्र के अनुसार होंगे।
- 5- संस्था की सदस्यता एवं सदस्यों के वर्ग :-
क- सदस्यता :-

जो सज्जन 18 वर्ष से अधिक आयु का हो, नैतिक आचरण वाला हो, दिवालिया न हो, पागल न हो, सर्वोदय विचार वाला हो, संस्था के उद्देश्यों के प्रति पूर्ण निष्ठा रखता हो, संस्था का सदस्य बन सकता है।

ख- सदस्यों के वर्ग :-

अ- आजीवन सदस्य :-

जो सज्जन क्रमांक 5 (क) के अनुसार योग्यता रखते हुए उसने संस्था को एक मुश्त 1100/- रु0 या उससे अधिक धन या सम्पत्ति संस्था को प्रदान करायेगें और उपयुक्त उद्देश्यों से सहमत होंगें। वे संस्था के आजीवन सदस्य कहलायेगा।

ब- सामान्य सदस्य :-

जो सज्जन क्रमांक 5 (क) के अनुसार योग्यता रखते हुए उसने संस्था को एक मुश्त 100/-रु0 या उससे अधिक धन या सम्पत्ति संस्था को प्रदान करायेगें और उपयुक्त उद्देश्यों से सहमत होंगें। वे संस्था के सामान्य सदस्य कहलायेगा।



MANAGER
Shri Brahm Singh Educational
Society

सत्य प्रतिनिधि

प्रधान प्रशासक/अन्वेषक

कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार

श्री सोसाइटीज तथा विद्यालय, मेरठ

20-1-17

श्रीमानल आरि
Kishabk

श्री

श्री

श्री

श्री

श्री

6 सदस्यता की समाप्ति :-

- 1- सदस्य की मृत्यु होने पर ।
- 2- सदस्य द्वारा त्याग-पत्र दिये जाने पर ।
- 3- संस्था की सदस्यता शुल्क अदा न करने पर।
- 4- सदस्य को दिवालिया अथवा पागल घोषित होने पर।
- 5- संस्था के विरुद्ध कार्यों में संलिप्त पाये जाने पर।
- 6- संस्था की तीन मीटिंग में बिना किसी कारण लगातार अनुपस्थिति रहने पर।

7 संस्था के अंग :-

- क- साधारण सभा ।
ख- प्रबन्धकारिणी समिति ।

8 साधारण सभा :-



संस्था के सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर बनाया गया समूह साधारण सभा कहलायेगी ।

साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक बार एवं विशेष बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है ।

सामान्य बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व एवं विशेष बैठक की सूचना 24 घंटे पूर्व दी जायेगी, सूचना डाक या स्पेशल मैसेजर द्वारा दी जायेगी ।

साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल संख्या का दो तिहाई होगा, कोरम के अभाव में स्थगित की गयी बैठक के लिए कोरम की पाबन्दी न होगी, यदि उन्हीं विषयों पर विचार होता हो ।

व-कोरम :-

साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल संख्या का दो तिहाई होगा, कोरम के अभाव में स्थगित की गयी बैठक के लिए कोरम की पाबन्दी न होगी, यदि उन्हीं विषयों पर विचार होता हो ।

सत्य प्रतिलिपि

विशेष वार्षिक अधिवेशन :-

प्रधान सहायक/अन्वेषक

कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार

फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स, मेरठ।

संस्था का विशेष वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार हुआ करेगा जिसकी तिथि प्रबन्धसमिति द्वारा निर्धारित की जायेगी।

20-1-17

रजपाल सिंह
Rishabh

Devi

Dsingh

सुनीता देवी

Devi

गवना

Devi

Rajeev Kumar

च- साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य :-

- 1- संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव करना ।
- 2- संस्था के आय व्यय की रिपोर्ट, बजट आदि को पास करना ।
- 3- संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन, परिवर्तन 2/ 3 बहुमत से करना ।
- 4- संस्था की नीति निर्धारित करना ।
- 5- संस्था के भ्रष्ट सदस्यों को निकालना ।



ख- बैठकें :-

संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति का गठन साधारण सभा अपने सदस्यों में से बहुमत द्वारा होगा।

ग- सूचना :-

सामान्य बैठक वर्ष में कम से कम दो बार एवं विशेष बैठक कभी भी अध्यक्ष के निर्देशन पर बुलाई जा सकती है।

घ- कोरम :-

सामान्य बैठक की सूचना 07 दिन पूर्व एवं विशेष बैठक की सूचना 24 घंटे पूर्व दी जायेगी, सूचना डाक या स्पेशल मैसेंजर द्वारा दी जायेगी।

ड- रिक्त पद की पूर्ति :-

प्रबन्धकारिणी समिति का बैठक का कोरम तीन चौथाई होगा, कोरम के अभाव में स्थगित की गयी बैठक की पाबन्दी न होगी, यदि उन्ही विषयों पर विचार होता हो।

इ- रिक्त पद की पूर्ति :-

प्रबन्धकारिणी समिति में आकस्मिक रिक्त पद होने पर उसकी पूर्ति प्रबन्धकारिणी समिति स्वयं साधारण सभा सदस्यों में से बहुमत द्वारा शेष कार्यकाल की अवधि के लिए कर लेगी।

सत्य प्रतिलिपि

AR

प्रधान सहायक / अन्वेषक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार




श्री सोसाइटीज तथा चिन्ता प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य :-

प्रबन्धसमिति का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा।

1- संस्था के नियमों-विनियमों में संशोधन करना ।



2- संस्था का प्रबन्ध संचालन हेतु कर्मचारियों, अधिकारियों की नियुक्ति करना।


MANAGER
Shri Brahm Singh Educational
Society


Anil

Anshu

Anamika


Anshu

Anamika


Anshu

Anamika


Anshu

Anamika

/4/

- 3- संस्था की वार्षिक रिपोर्ट, बजट आदि को तैयार कराना।
- 4- प्रबन्धकारिणी समिति में आकस्मिक रिक्त पद की पूर्ति करना।
- 5- संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु दान, चन्दा, ऋण, अनुदान, भूमि, भवन, चल अचल सम्पत्ति विभिन्न स्रोतों से प्राप्त करने हेतु कार्यवाही करना।

10- प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य :-

अध्यक्ष :-



प्रबन्धक :-

- 1- संस्था की सभी प्रकार की बैठकों, सभाओं की अध्यक्षता करना।
 - 2- सभाओं, कार्यक्रमों आदि के लिए दिनांक, समय का निर्धारण कर सूचना जारी करना।
 - 3- समान मत होने पर अपना निर्णायक मत देना।
 - 4- संस्था के हित में कार्य करना।
- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके अधिकार एवं कर्तव्य उपाध्यक्ष को निम्न होंगे।
- 1- संस्था के अभिलेखों का रख रखाव करना व मीटिंग की कार्यवाही को रजिस्टर में दर्ज कराना, अभिलेख पूर्ण कराना।
 - 2- संस्था के अन्तर्गत संचालित स्कूल आदि के संचालन हेतु समस्त प्रकार की संस्था की ओर से पत्र व्यवहार करना।
 - 3- संस्था के समस्त बाउचरों, अभिलेखों पर हस्ताक्षर करना एवं उनकी आवश्यकता पडने पर प्रमाणित भी करना।

गुणपल सिंह

सत्य प्रतिलिपि

Rishabh

Shri

माना

Shri

Dangra

सुनीता देवी

Rajeev

प्रधान सहायक / अन्वेषक
कार्यालय डिप्टी सचिवद्वारा
फर्म सोसाइटीज तथा चिटस, भरत।

02-1-17

MANAGER
Shri Brahm Singh Educational
Society



कोषाध्यक्ष :-

- 4- संस्था के द्वारा संचालित संस्थान, स्कूल आदि के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति, वेतनवृद्धि, पदोन्नति, डिमोशन आदि सम्बन्धी कार्यवाही करना ।
- 5- संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अध्यक्ष के साथ मिलकर दान-अनुदान, चन्दा, ऋण, चल अचल सम्पत्ति प्राप्त करने हेतु सरकारी/गैर सरकारी कार्यालयों, विभागों, बैंक आदि से सम्पर्क कर प्राप्त करना। संस्था के हित में कार्य करना।
- 6- संस्था के सदस्य/ कर्मचारी के त्याग-पत्र को अध्यक्ष की स्वीकृत के बाद संस्तुति करना।
प्रबन्धक की अनुपस्थिति में उनके अधिकार एवं कर्तव्य उपप्रबन्धक को निहित होंगे।
- 1- संस्था के केश से सम्बन्धित सभी अभिलेख तैयार करना, उनमें धनराशि का इन्द्राज करना।
- 2- संस्था के आय व्यय की रिपोर्ट, बजट तैयार कराकर बैठक में प्रस्तावित करना।
- 3- अध्यक्ष तथा प्रबन्धक के द्वारा सौंपे गये कार्य करना।

11 नियमों-विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :-

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक/अन्वेषक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्ठा, मेरठ।

संस्था के नियमों-विनियमों में संशोधन प्रक्रिया प्रबन्धसमिति के अनुमोदन होने के दस दिन बाद साधारण सभा की बैठक में दो तिहाई बहुमत पूर्ण होने पर संशोधन/परिवर्तन मान्य होगा।

संस्था का कोष संस्था के नाम से किसी भी बैंक अथवा डाकघर में रखा जायेगा जिसका संचालन संस्था के प्रबन्धक एवं कोषाध्यक्ष दोनों के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा।

श्री ब्रह्म सिंह
Rishabh

श्री ब्रह्म सिंह
श्री ब्रह्म सिंह

श्री ब्रह्म सिंह
श्री ब्रह्म सिंह

13- आय व्यय लेखा परीक्षण :-

संस्था के आय व्यय का वार्षिक आडिट प्रबन्धसमिति द्वारा नियुक्त आडिटर अथवा सी0ए0 द्वारा कराया जायेगा, जो कि पहली अप्रैल से 31 मार्च तक का होगा।

14 कानूनी कार्यवाही :-

संस्था की समस्त कानूनी कार्यवाही प्रबन्धक द्वारा की जायेगी, जो कि संस्था के पंजीकृत कार्यालय के क्षेत्रान्तर्गत की जायेगी।



सदस्यता रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, एजेण्डा, लेजर, कैश बुक रसीद बुक आदि जो भी आवश्यक हो, रखे जायेंगे।

संस्था की विघटन एवं विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

17 प्रतिबन्धों की बाध्यता :-

1. विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2. विद्यालय की प्रबन्धसमिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/ जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद/ बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

सत्य प्रतिलिपि

4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/ कौंसिल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।

प्रधान सहायक/अन्वेषक

कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार

फर्म सोसाइटीज तथा विटस, मेरठ।

90-1-17

शुभल आर

शुभल

शुभल

शुभल देवी

शुभल

MANAGER

Shri Brahm Singh Educational Society

शुभल

शुभल

शुभल देवी

5. संस्था शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
6. कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनाई जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
7. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।
8. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/ पंजिकाओं में रखा जायेगा।
9. उत्तर प्रदेश शिक्षा संहिता की धारा 105 से 107 के अन्तर्गत विभिन्न वर्गों के छात्रों को अनुमन्य शुल्क मुक्ति संस्था के छात्रों को प्रदान की जायेगी।
10. उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/ संशोधन/ परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

दिनांक-



सत्यप्रतिलिपि ।

श्रीपाल सिंह

Rishabh

Jai

D Singh

शुभिता देवी

गाना

Ason

R

Rajeev Kumar

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक/अन्वेषक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म सोसाइटीज तथा चिट्स, मेरठ।

20-1-17

MANAGER
Shri Brahm Singh Educational
Society

घोषणा पत्र

श्री ब्रहम सिंह एजुकेशनल सोसायटी म०नं० 72, ग्राम फतेहपुर बुजुर्ग, पोस्ट मूडाखेड़ा, तहसील व जिला बुलन्दशहर, उ०प्र० पबन्धक कारिणी समिति के सभी सदस्य नियमावली (18.01.2017) के अन्तरगत घोषणा करते हैं कि गाटा सं० 142, 143, 147, 159अ, 159ब, पर सी०डब्लू० डी० इण्टर नेशनल स्कूल के निर्माण को ग्राम मूडाखेड़ा विकास क्षेत्र खुरजा में प्रस्तावित किया जाता है

| क्र०सं० | प्रबन्धक कारिणी समिति के सदस्य | हस्ताक्षर |
|---------|---|-----------|
| 1. | श्री टैनपाल सिंह पुत्र श्री ब्रहम सिंह | |
| 2. | श्री ऋषभ राजौरा पुत्र श्री अरविन्द कुमार | |
| 3. | अनुज कुमार पुत्र श्री टैनपाल सिंह | |
| 4. | श्रीमती भावना पत्नी श्री अनुज कुमार | |
| 5. | श्री अरविन्द कुमार पुत्र श्री टैनपाल सिंह | |
| 6. | श्रीमती अन्जू पत्नी श्री रतन सिंह | |
| 7. | श्री ध्यान सिंह पुत्र श्री ब्रहम सिंह | |
| 8. | श्रीमती सुनीता देवी पत्नी श्री सत्यपाल सिंह | |
| 9. | श्री राजीव कुमार पुत्र श्री शिवदान सिंह | |

MANAGER
Shri Brahm Singh Educational
Society

Manager 18-01-17
Shri Brahm Singh Educational Society
Fatehpur Buzurg (BSR)